

भारत गणराज्य

REPUBLIC

OF

INDIA



हसके द्वारा, भारत गणराज्य के अपूराति के नाम पर, उन सब से जिनका इस बात से सरोकार हो, यह प्रार्थना एवं अपूरा के जाती है कि वे वाहक को बिना रोक-टोक, आज़ादी से आने-जाने दें, और उसे हर तरह की ऐसी सहायता और सुरक्षा प्रदान करें जिसकी उसे आवश्यकता हो।

THESE ARE TO REQUEST AND REQUIRE IN THE NAMEQF THE PRESIDENT OF THE REQUEST OF INDIA ALL TROSE WHOM INMAY CONCERN TO ALLOW THE BEARER TO PASS FREELY WITHOUT LEY OR HINDRANCE, AND TO AFFORD HIM OR HER, EVERY ASSISTANCE AND PROTECTION OF WHICH HE OR SHE MAY STAND IN NEED.

भारत गणराज्य के राष्ट्रपति के आदेश से दिया गया BY ORDER OF THE PRESIDENT OF THE REPUBLIC OF INDIA

Trichirappalli

assport Officer, बिरुच्चिरापाल्ली

बांलादेश, पाकित्तान और यूरोप के जन्य सभी वेश (राष्ट्रकूल की स्वतंत्र सरकारों को छोडकर) और उत्तर अमेरिका, जापान, न्युझीलंड और ऑस्ट्रोलिया को छोडकर परवेशमनन के लिए जांच आवश्यक Emigration Check Required (ECR) except for Bangladesh, Pakistan all countries in Europe (Excluding Commonwealth of Independent States (CIS)), North America, Japan, New-Zealand and Australia." उत्प्रवास वर्जा: Emigration Status महापोर्ट अधिकारी Passport Officer, तिरुव्यिराप्पल्ली Trichirappalli इस पासपोर्ट में 36 पृष्ठ हैं। /This passport contains 36 pages. वीज़ा / VISAS वीज़ा / VISAS





पंजीकरण

विदेशों में रहने वाले भारतीय नागरिकों को सलाह दी जाती है कि वे अपने को निकटतम भारतीय भिशन / चौकी पर पंजीकृत करवा लें ।

ं चेतावनी यह पासपोर्ट भारत सरकार ही सम्पत्ति है। पासपोर्ट अधिकारी क्षिन्न पासपोर्ट के संदर्भ में कोई सूचना मिलने पर जिसमें इसे सुपुर्द करना शामिल है, उत्तका/तुरन्त अनुपालन किया जाए।

यह पासपोर्ट हाक द्वारा किती भी देश से बाहर न के जाए। यह पासपोर्ट पारक या उसके द्वारा प्रायिकृत व्यक्ति के ककी में ही होना चाहिए। इस किशी भी प्रकार के फेरबदल या निकृत नहीं किया जाना चाहिए। पासपोर्ट गुप जाना, चोरी हो जाना था नष्ट हो किया उसकी रिपोर्ट तत्काल भारत में निकटतम पासपोर्ट अधिकारी को (तथा यदि पारक दिशा) में हो) निकटतम भारतीय मिशन को और स्थानीय पुलिस को दी जानी चाहिए। निश्चीयत पुण्डाछ के पश्चात ही प्रतिपुरक पासपोर्ट जारी किया जागा। किया जाएगा ।

REGISTRATION

INDIAN CITIZENS RESIDENT ABROAD ARE ADVISED TO REGIS-TER THEMSELVES AT THE NEAREST INDIAN MISSION / POST.

CAUTION

THIS PASSPORT IS THE PROPERTY OF THE GOVERNMENT OF INDIA, ANY COMMUNICATION RECEIVED BY HOLDER FROM THE PASSPORT AUTHORITY REGARDING THIS PASSPORT, INCLUDING DEMAND FOR ITS SURRENDER, SHOULD BE COMPLIED WITH IM-

PASSPORT SHOULD NOT BE SENT OUT OF ANY COUNTRY BY POST. IT SHOULD BE IN THE CUSTODY EITHER OF THE HOLDER OR OF A PERSON AUTHORISED BY THE HOLDER, IT MUST NOT BE ALTE-RED OR MUTILATED IN ANY WAY

LOSS, THEFT OR DESTRUCTIO. ORTS SHOULD BE IMME-DIATELY REPORTED TO THE ASSPORT AUTHORITY IN INDIA OR (IF THE HOLDER IS ADROL 1) TO THE NEAREST INDIAN MISSION AND TO THE LOCAL POLICE. ONLY AFTER EXHAUSTIVE ENQUIRIES SHALL A REPLACEMENT PASSPORT BE ISSUED.

